कार्यालय - जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा Mash Feed (Formulated Spawn Feed) के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में पलामू जिले के निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों एवं अन्य विभागीय कार्यो हेतु Mash Feed (Formulated Spawn Feed) देने के लिये उसके क्रय करने हेतु **मुहरबंद निविदा** दिनांक 18/06/2018 को अपराह्न 01बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

निविदा की शर्त्ताएँ निम्नलिखित है :-

1. निविदा की विस्तृत शर्ते www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।
2. दिनांक **18/06/**2018 को अपराह्न 02बजे, उपायुक्त, पलामू द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जायेगी।**
3. विभाग हित में निविदा की शर्त में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार, परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

Bhi
08/06/18

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पलामू।

कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्तें :—

1. निविदादाता को निविदा के साथ Mash Feed (Formulated Spawn Feed) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाईबर की मात्रा (%में), नमी की मात्रा (%में), आहार समपरिवर्तन दर (FCR), विटामिन का प्रकार, मिनरल मिक्चर का प्रकार एवं शेल्फ लाईफ आदि का विवरण देना होगा। उसमे प्रोटीन न्यूनतम 28 से 30 प्रतिशत तथा वसा 04 प्रतिशत होना चाहिये। आहार समपरिवर्तन दर (FCR) LOW एवं शेल्फ लाईफ अधिक होना चाहिये।

2. निविदादाता को पैन नं0, वाणिज्यकर विभाग का पंजीकरण (TIN No.),आयकर रिटर्न तीन वर्ष का (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) एवं GST No. की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

3. निविदा के साथ सरकारी क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षो का Mash Feed (Formulated Spawn Feed) आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. निविदा की सामग्री का सीलबन्द नमूना (कम, से कम 100 ग्राम का पैकेटं पॉलिथिन बैग में) प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत केमिकल एनालिसिस प्रमाण पत्र (Chemical Analysis Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 21,000/– (एक्कीस हजार) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम नाम से पलामू में भुगतेय हो, रखा जायेगा।

6. तकनीकी निविदा के लिफाफे मे कमांक 1 से 5 तक कंडिकाओं को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. वितीय निविदा पत्र मे Mash Feed (Formulated Spawn Feed) की दर का प्रस्ताव (GST, डयूटी शुल्क VAT, परिवहन व्यय सहित) अंकित करना अनिवार्य होगा।

8. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी और वितीय निविदा उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनो (वित्तिय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

9. सफल निविदादाता को Feed की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अंदर पहुँचा कर करना होगा। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप आपूर्ति नहीं किये जाने स्थिति में संबंधित निविदादाता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

10. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी प्रकार के विवाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।

11. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः— **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दिनांक18/06/2018 अपराह्न 02बजे होगा।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।

12. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

13. विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तारण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।

Sd/- 08/06/18

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पलामू।